न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3777–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–9–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हरदा अपील प्रकरण कमांक 34/अ–6/2014–15.

मनोहर आ. पन्नालाल गौर
निवासी ग्राम छीपावड
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

रामनिवास आ. पन्नालाल गौर
निवासी ग्राम छीपावड
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....अनावेदक

श्री मनोहर गौर, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, खिरकिया के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष की मां कमलाबाई के स्वामित्व की ग्राम छीपावड स्थित भूमि सर्वे कमांक 756/1 रकबा 3.517 हेक्टेयर है, जो कि आवेदक के साथ संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख

में उनके नाम दर्ज चली आ रही हैं । इस भूमि में से 4.35 एकड़ कमलाबाई के अधिकार एवं स्वामित्व की भूमि है, और उसके द्वारा अपने जीवनकाल में अनावेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है एवं कमलाबाई की दिनांक 22–8–2011 को मृत्यु हो चुकी है, अतः वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 124/अ–6/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । दिनांक 9–4–2015 को आवेदक के अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । आवेदक की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–7–2015 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हरदा के समक्ष अपील प्रसतुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–9–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के अभिभाषक हरदा एवं खिरकिया में वकालत करते हैं, इस कारण वे नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं हो सके । यह भी कहा गया कि आवेदक के अधिवक्ता को जानकारी होते ही उसके द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिवक्ता की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, और न्यायहित में प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक दिनांक 17–9–2014 की पेशी पर उपस्थित हुआ है, उसके बाद प्रकरण में अनेक पेशी नियत होती रही, परन्तु उसके द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य एवं जवाब प्रस्तुत

नहीं किया गया है, अतः आवेदक का प्रकरण के प्रति उदासीन रहने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

(2) आवेदक की ओर से निर्धारित समय–सीमा 30 दिवस में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर 2 माह 9 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, और विलम्ब का समाधानकारक एवं संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है ।

(3) आवेदक द्वारा जिन आधारों पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, उससे भिन्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, अतः इसी आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) आवेदक के पैदल दूरी पर तहसील न्यायालय स्थित है, इसलिए यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को पेशी की जानकारी नहीं थी ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–4–2015 को आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है और दिनांक 10–7–2015 को आवेदक की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 35(3) के अन्तर्गत के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । संहिता की धारा 35(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु एक माह की समय सीमा निर्धारित है । इस प्रकार आवेदक की ओर से मात्र दो माह विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे तहसीलदार द्वारा तकनीकी आधार पर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सामान्यतः जब तक प्रकरण में अत्यधिक विलम्ब न हो, तब तक प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर गुणदोष पर करना चाहिये । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि पुर्नस्थापन आवेदन पत्र में आवेदक के

एकपक्षीय होने की तारीख गलत है । यह आधार भी पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है और पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त करने का आधार मान्य नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायिक आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील इस आधार पर निरस्त की गई है कि आवेदन पत्र में एकपक्षीय आदेश होने का दिनांक गलत है और शपथपत्र में विलम्ब के संबंध में कोई कथन नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आधार भी पूर्णतः विधि विपरीत है, क्योंकि मात्र एकपक्षीय आदेश की दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से आवेदक की अपील निरस्त करने के कारण उसे वास्तविक न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है और शपथपत्र आवेदन के समर्थन में दिया जाता है, इसलिये उसमें विलम्ब का कारण दर्शाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक और न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवेदक के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर उसे सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–2015 एवं तहसीलदार, तहसील खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर